गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...2293....
दिनांक ...5/7/2022...

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांकः प.8(32)गृह–12/कारा/2021 जयपुर, दिनांक : 01 JUL 2022

–: अधिसूचना :–

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर परिसर में स्थित पेट्रोल पम्प के पश्चिम में 15 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 40 मीटर (जिसमें पूर्व का गेस्ट हाउस सम्मिलित है) अर्थात् 15X40=600 वर्गमीटर जमीन पर बंदियों के प्रयोजनार्थ खुले हवा शिविर स्थापित किये जाने हेतु कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9, सन् 1894) की धारा 3 के खण्ड (1) सपठित राजस्थान कैदियों के लिये खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 के खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार 50 बंदी क्षमता का स्थाई **"खुले हवा शिविर"** एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/

(डॉ. सौम्या झा),
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक बं.शा./जयपुर/48/2021/61567–69 दिनांक 24.12.2021 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित आदेश की दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत्।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव